THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Government of India is not maintaining such data. The alternative schemes have been announced and are implemented in an integrated manner so as to cover the weavers affected as a result of phasing out of production of Janata cloth also besides covering a large number of weavers who were till recently not benefited by the developmental schemes of Government of India.

(b) and (c) The Janta Cloth Scheme has been modified providing for an alternative package of assistance in the form of equity for under-taking increased production of non-janata cloth. The alternative package is in its early stages of implementation. In addition, an integrated scheme for setting up 3000 Handloom Development Centres (HDC) and 500 Quality Dyeing Units (QDU) intending to cover 30 lakh weavers has been approved for implementation during the Eighth Five Year Plan. The scheme has been designed to take care of the major problems of handloom weavers with regard to the supply of inputs, design development, marketing, etc. This scheme has been announced in September, 1993.

रुग्ण कपड़ा मिलों में छंटनी

175. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौन-कौन सी कपड़ा मिलें रुग्ण है;

(ख) क्या यह सच है कि इन रुग्ण मिलों के कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो छंटनी के लिये प्रक्रिया और नियम क्या है; और

(घ) छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास और उनकी आजीविका के संबंध में सरकार की क्या योजना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) 31-10-1993 की स्थिति के अनुसार औद्योगिकी वित्त तथा पुनर्निमाण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार बी आई एफ आर के पास 255 वस्त्र मिलें रुग्ण वस्त्र मिलों के रूप में पंजीकृत थीं।

(ख) से (घ) एन टी सी की मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत फालूत कर्मचारियों का सुव्यवस्थीकरण करना भी शामिल है। एन टी सी मिलों के उन कामगारों के लिए जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाया है, प्रशिक्षित तथा पुनः तैनात करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रु० की धन राशि से पुनर्वासन निधि का सृजन किया गया है। विद्युतकरण/रीलिंग एककों की स्थापना करने के लिए सुव्यवस्थित कामगारों को समर्थ बनाने के लिए योजनाएं बनाई गई है। योजना की पूंजीगत लागत का 25 प्र०श० से 33 प्र०श० तक का उत्पादन प्रोत्साहन तब प्रदान किया जाता है जबकि करघोरो लिंग एककों को छः महीनों के लिए सफलतापूर्वक चलाया जाता है ताकि ऐसे उद्यम को अधिक लाभप्रद बनाया जा सके। निजी क्षेत्र से मिलों के लिए पुनरुद्धार पैकेज योजनाओं पर निर्णय बी आई एफ आर द्वारा लिया जाता है। यदि आवश्यक होता है तो उस स्थिति में छट्टी के मानदण्डों को भी पैकेज में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना का भी सृजन किया गया है ताकि मिलों के स्थाई आंशिक रूप से होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान की जा सके।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों का पुनरुज्जीवन

176. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण कपड़ा मिलों को वित्तीय संकट से उबार कर उनके पुनरुज्जीवन के संबंध में सरकार की क्या योजना है; और

(ख) क्या सरकार इन रुग्ण मिलों को निजी क्षेत्र में सौंपने का विचार रखती है; यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) सरकार ने एन टी सी मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के मुख्य संघटकों में चुनिन्दा आधुनिकीकरण, वित्तीय तथा प्रबन्धकीय पुनर्निर्माण तथा फालूत कर्मचारियों का स्वैच्छिक

सेवा निवृत्ति योजना के जरिए सुव्यवस्थित करना शामिल है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अन्तर्गत रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार करने के पैकेज पर निर्णय लेने का दायित्व औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा गया है।

(ख) एन टी सी के अधीन चल रही रुग्ण वस्त्र मिलों का निजीकरण करने के लिए इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Increasing the production of Handloom Cloth in Gujarat

177. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Gujarat Government has forwarded any scheme to the Union Government for increasing the production of handloom cloth in that State and for the welfare of the weavers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) On the basis of proposals received from the State Central assistance has been released to the Government of Gujarat during the year 1993-94 upto 31st January, 1994 as follows:

(Rs in lakhs)

S.No.	Name of the Scheme	Amount
1.	Margin Money for Destitute Weavers Schemes.	0.72
2.	Project Package Scheme.	16.56
3.	Integrated Handloom Village Development Scheme.	9.50
4.	Setting up of Enforcement Machinery.	7.60
5.	Special rebate/Marketing Development Assistance.	30.31
6.	Subsidy on Janata Cloth.	74.57

Plight of Ansar Weavers

178. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item in Janasatta of 1st February, 1994 highlighting the plight of Ansar weavers of Chhota Nagpur and Santhal Pargana region of Bihar; if so, what are the details thereof;

(a) whether it is a fact that large number of weavers have become unemployed; if so, what is the number of affected weavers; and

(b) what steps Government have taken to investigate the charges of corruption and also to help the weavers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir. The news item has alleged certain irregularity in Janata Cloth Production Programme of Bihar. The allegations are of a general nature although it does specifically say that yarn purchased by the implementation agency in Chotanagpur Region had been diverted for other purposes.

(b) No, Sir.

(c) The complaints received from various sources have been considered and the physical inspections carried out, wherever necessary, both by the State Government and Government of India. While specific action has been taken in respect of specific complaints from Bihar, the provisions under the guidelines have been suitably modified from time to time as long term preventive measures.